अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4
जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक–यो० मो०–4 (विविध) 07–150/2012 पार्ट II– 57 /पटना, दिनांक– 27.01.2026

अल्पकालीन उद्धरण आमंत्रण सूचना

माननीय विधान सभा सदस्यों एवं माननीय विधान परिषद सदस्यों के बीच जल संसाधन विभाग के बजट उपस्थापन के लिए बजट पुस्तिका, कार्यक्रम पुस्तिका एवं माननीय मंत्री महोदय के बजट भाषण पुस्तिका के वितरण निमित निम्नांकित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निबंधित फर्मो से मुहरबंद लिफाफे में उद्धरण दिनांक–29.01.2026 के अपराह्न 02.30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिन 03.30 बजे अपराह्न में उद्धरण दाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष ई० आशीष कुमार, कार्यपालक अभियंता–12–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना के कार्यालय में खोला जायेगा।

आपूर्ति हेतु सामग्रियो का विवरण:–

क्र० सं०	आपूर्ति हेतु सामग्रियो का विवरणी	प्रतियाँ	विशिष्टि	उद्धृत दर
1	2	3	5	6
1	**JUCO Laptop Bag SVRE** (Both Side Painted Madhubani Art)	400	Size: 16 inch X 12 inch	प्रति इकाई
2	Notebook	400	150 pages/21.6 cm x 14 cm	प्रति इकाई
3	Pen	400	Good Quality	प्रति इकाई

1. कोटेशन के कभर पर फर्म का पूरा नाम पता तथा दूरभाष/मोबाईल सं० अंकित होना चाहिए।
2. विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
3. उक्त सामग्रियों की आपूर्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक–05.02.2026 तक आपूर्ति सुनिश्चित करनी है अन्यथा आपूर्तिकर्ता का नाम काली सूची में डाल दी जायेगी।
4. उपरोक्त सामग्रियों के लिए अग्रधन की राशि क्रमांक–1 लिए रू० 5,000/–(पाँच हजार) रूपये एवं क्रमांक–2 एवं 3 के लिए रू० 5,000/–(पाँच हजार) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट (SE, Planning & Monitoring Circle 4) के नाम से कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. GST निबंधन /अद्यतन आयकर रिटर्न/GST रिटर्न/पैन कार्ड की स्व० अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को गुणवत्ता एवं दर के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है।
7. सामग्रियों का कोटेशन नमूना के साथ जमा करना अनिवार्य है। बिना नमूना का कोटेशन अमान्य होगा।
8. किसी अथवा सभी सामग्रियों का कोटेशन बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी प्रकार अतिरिक्त ढुलाई राशि देय नहीं होगा।

Asomnd 27/01/2026
अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4

ज्ञापांक–यो० मो०–4 (विविध) 07–150/2012 पार्ट II– 57 /पटना, दिनांक 27.01.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1,2,3 एवं बाढ़ नियंत्रण/सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/विभागीय सूचना पट, सिंचाई भवन, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभागीय वेबसाईट https://wrd.bihar.gov.in

Asomnd 27/01/2026
अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4